Haryana Industrial Training Directorate,
Headquarters: Chandigarh

तत्काल तिथिबद्ध

सेवा में,

सभी प्रधानाचार्य/वर्ग अनुदेशक इन्चार्ज/वर्ग अनुदेशक इन्चार्ज (महिला), राजकीय/प्राईवेट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान/राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (महिला) (हरियाणा राज्य में)।

यादि कंमाक टी–4/पी.एम.एस/एस.सी/2015/ 2233

दिनांक 17/12/15

विषयः– पोस्ट मैट्रिक स्कोलरशिप स्कीम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/विमुक्त, घुमन्तू तथा अर्ध घमन्तु जातियों के छात्र/छात्राओं के लिए छात्रवृति आवेदन पत्र वर्ष 2015–16 से आन लाईन (On Line) अपलोड करने हेतु मार्गदर्शन बारे ।

उपरोक्त विषय पर निदेशालय के पत्र कंमाक टी–4/पी.एम.एस/एस.सी/2015/ 1766–67, 2156–57 तथा दिनाकं 16.10.2015, 2.12.2015, 9.12.2015 व E-mail 15.12.2015 के लगातार निरन्तर में।

आपको पुनः निर्देश दिए जाते हैं कि निदेशक, अनुसूचित जातियां एवं पिछडा वर्ग कल्याण विभाग, हरियाणा द्वारा भेजी गई हिदायतों के अनुसार पोस्ट मैट्रिक स्कोलरशिप स्कीम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/विमुक्त, घुमन्तू तथा अर्ध घमन्तु जातियों के छात्र/छात्राओं के लिए छात्रवृति आवेदन पत्र वर्ष 2015–16 से (On Line) आन लाईन अपलोड करने के लिए प्रत्येक संस्थान का मुखिया उक्त विभाग द्वारा दर्शाई गई वेबसाईट (http://www.haryanawelfare schemes.org/login.aspx) पर जिला कल्याण अधिकारी से सम्पर्क करके शीघ्र अपना व अपने संस्थान का डाटा भरकर अपने संस्थान को रजिस्ट्रड करवायेंगें। इस सम्बंध में बिन्दु 1, 2 व 3 बारे निम्न प्रकार से कालम अंकित किये जाऐ :–

1. संस्थान के रजिस्ट्रेशन नंबर के स्थान पर संस्थान का स्थापना वर्ष (जिस वर्ष में संस्थान खोला गया है) अंकित किया जाऐ।
2. संस्थान के सम्बन्धन बारे सरकारी या प्राईवेट संस्थान के कॉलम में जिस वर्ष में संस्थान का NCVT सम्बंधन हुआ है। वर्ष अंकित किया जाना है।
3. संस्थान के बैंक खाता बारे रजिस्ट्रेशन करवाते समय कॉलम में इस स्कीम से सम्बंधित अपने संस्थान का खाता संख्या भरा जाना है।
4. अपलोड किये गये छात्रवृति आवेदन पत्र संस्थान के मुखिया द्वारा तुरन्त online approved किये जाये ताकि छात्रों के छात्रवृति आवेदन पत्र निदेशक, अनुसूचित जातियां एवं पिछडा वर्ग कल्याण विभाग, हरियाणा की वैबसाईट पर स्वीकृति हेतु उपलब्ध हो सके।

- उक्त अनुसार कार्यवाही हेतु सभी राजकीय/प्राईवेट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, के मुखियों को निर्देश दिये जाते है कि सभी संस्थान उक्त विभाग की वैबसाईट (http://www.haryanawelfare schemes.org/login.aspx) पर संस्थान तुरन्त पंजीकृत

करवाते हुए अधिक से अधिक छात्र/छात्राओं के छात्रवृति आवेदन पत्र दिनांक 31.12.2015 से पूर्व ऑन लाईन अपलोड करवाना सुनिश्चित करें।

- संस्थान को पंजीकृत करवाने हेतु जो आवश्यक दस्तावेज अपलोड किये जाने हैं तथा छात्रों के छात्रवृति आवेदन पत्र के साथ जो दस्तावेज अपलोड किये जाने हैं उनकी चैक लिस्ट आपकी सुविधा हेतु साथ संलग्न करके भेजी जाती है ।

उपरोक्त के अतिरिक्त सभी राजकीय/प्राईवेट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के प्रधानाचार्य/वर्ग अनुदेशक इन्चार्जों को निर्देश दिये जाते है कि वह अपने–2 संस्थान में कार्यरत वर्ग अनुदेशक या वरिष्ठ अनुदेशक की डयूटी अपने स्तर पर लगाना सुनिश्चित करें और उन्हें निर्देश दें की पोस्ट मैट्रिक स्कोलरशिप स्कीम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं के छात्रवृति आवेदन/अन्य दस्तावेज Checked & verified करके अपने हस्ताक्षर सहित सत्यापित करके छात्रवृति आवेदन–पत्र ऑन लाईन करने के लिये प्रधानाचार्य/वर्ग अनुदेशक इन्चार्जों के कार्यालय में प्रस्तुत करेंगें ताकि छात्र/छात्राओं के छात्रवृति आवेदन पत्र ऑन लाईन करने में किसी प्रकार की गल्ती ना हो।

On Line किये गए छात्रवृति आवेदन पत्र के प्रिन्ट की प्रति पूर्ण दस्तावेजों के साथ संलग्न करके अपने कार्यालय रिकार्ड में रखेंगे। उक्त आदेशों की दृढता से पालना करें।

नोटः– यदि कोई अनुसूचित जाति/विमुक्त, घुमन्तू तथा अर्ध घमन्तु जातियों के छात्र/छात्राओं के छात्रवृति से वंचित रह जाता है तो सम्बन्धित संस्थान का मुखिया स्वयं जिम्मेवार होगा।

17/12/15

सहायक निदेशक (प्रशिक्षण–III)
कृतेः महानिदेशक, औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, हरियाणा।

पृष्ठांकन क0 टी–4/पी.एम.एस/एस.सी/2015/2234 दिनांक 17-12-15

उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है:–

1. निदेशक, अनुसूचित जातियां एवं पिछडा वर्ग कल्याण विभाग, हरियाणा उनके पत्र कमांक DNS/2015/21189-93, Dated: 9-10-2015 के संदर्भ में।
2. सहायक निदेशक (योजना)।
3. सैन्ट्रल डी0डी0ओ0 / नोडल अधिकारी मुख्यालय पर ।
4. सहायक निदेशक (प्रशिक्षण–4)। अनुरोध है कि प्राईवेट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में कार्यवाही अपने स्तर पर पूर्ण करवाएं।
5. सभी जिला स्तर के नोडल अधिकारियों को निर्देश दिये जाते हैं कि अपने जिले में स्थित सभी राजकीय/प्राईवेट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को उक्त विभाग की वैबसाईट पर रजिस्टर्ड करवाना तथा इन संस्थानों में प्रशिक्षण ग्रहण कर रहे अनुसूचित जाति/विमुक्त, घुमन्तू तथा अर्ध घमन्तु जातियों के छात्र/छात्राओं के छात्रवृति आवदेन पत्र निदेशक, अनुसूचित जातियां एवं पिछडा वर्ग कल्याण विभाग, हरियाणा की वैबसाईट पर अपलोड करवाना सुनिश्चित करेंगें । यदि कोई छात्र/छात्रा छात्रवृति से वंचित रह जाता है तो उसकी पूर्ण जिम्मेवारी उस जिले के नोडल अधिकारी/सम्बन्धित संस्थान के मुखिया की होगी।
6. नोडल अधिकारी, वैबसाईट। विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

17/12/15

सहायक निदेशक (प्रशिक्षण–III)
कृतेः महानिदेशक, औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, हरियाणा।

Document Upload/Submit by Institute

1. Photograph of Library
2. Photograph of Sports Ground (Indoor Sports Room)
3. Photograph of Laboratory
4. Computer Centers
5. Bio Metric Attendance and Other Attendance Machine
6. Rent Agreement

Document Uploaded By Student

1. Photograph
2. Caste Certificate
3. Attested Copies of Mark sheet
4. Hostel Certificate
5. Ration Card
6. Residence Certificate
7. Receipt of Tuition of Fees /Other Charges
8. Family Income Certificate
9. Adhaar Card
10. Pass Book
11. Candidate Signatures
12. 12th Class Certificate